न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 99/2018

तारीख दायरा : 27.04.2018

उनवान

1.कप्तान पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी प्राणपुरा तहसील बावल जिला रेवाडी (हरियाणा)

.......वादी।

बनाम

1.महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन।

2.विरेन्द्रसिंह पुत्र श्री रामकिशन जाति खत्री निवासी मानका तहसील मुण्डावर हाल फरीदाबाद।

3.तहसीलदार मुण्डावर लैण्ड होल्डर जिला अलवर।

4.उप पंजीयक मुण्डावर जिला अलवर। ....प्रतिवादीगण।

(दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट)

उपस्थिति :–1. श्री गंगाराम पटेल, अधिवक्ता ....वादी की ओर से ।
2. श्री राकेश शर्मा ,अधिवक्ता ....प्रतिवादीगण की ओर से।

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांक : 06.8.19

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख.न. 2152 रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम मानका में स्थित है जो प्रतिवादी सं.01 व 02 के पिता रामकिशन पुत्र श्री मिलापचन्द खत्री निवासी मानका की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिसे मिन वादी ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 07.12.1985 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। वक्त खरीद से वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। बयनामा रजिस्टर्ड करवाने के उपरान्त इतंकाल दर्ज हेतु पटवारी हल्का को दिया गया था तथा पटवारी हल्का ने बयनामा यह कहकर वापिस दे दिया कि बयनामा का इतंकाल दर्ज हो गया है। परन्तु दिनांक 24.04.2018 को पटवारी हल्का के पास केडिट कार्ड की पत्रावली तैयार करवाने हेतु जाने पर यह ज्ञात हुआ कि बयनामा का इतंकाल ही दर्ज नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई सरोकार व सम्बन्ध नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण का पिता रामकिशन का देहान्त होने के कारण प्रतिवादीगण के नाम विरासत का नामातकरण दर्ज हो चुका है जो इतंकाल वादी के हितो के विरूद्व प्रभाव शून्य है। प्रतिवादी इस प्रकार गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी को रहन बय करने पर उतारू हो रहे है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

जबकि मुताबिक बयनामा वादी विवादित आराजी का केता है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्त में निवेदन किया गया कि विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 ने न्यायालय में उपरांजात होकर अपना इकबाल जवाब पेश कर वादी के दावे में वर्णित तथ्यों की ताईद की गई। प्रतिवादीगण ने इकबाल जवाब में स्वीकार किया है कि दिनांक 07.12.1985 को जर्ये बयनामा वादी ने यह आराजी उनके पिता रामकिशन से कय की थी तथा वक्त खरीद से ही वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का दावा डिकी किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने योग्य अधिवक्ता वादी को सुना तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने अपने दावे के समर्थन में बयनामा दिनांक 07.12.1985 की असल प्रति पेश की है जिसके अनुसार विवादित आराजी को वादी द्वारा दिनां 07.12.1985 को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी न. 1 व 2 के पिता रामकिशन से खरीद किया है। प्रतिवादीगण द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि अपने इकबाल जवाब में की है। कब्जा काश्त भी वादी का होना प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है। इस प्रकार इस मामले में यह निर्विवाद है कि वादी विवादित आराजी का सद्भावी केता है तथा मौके पर कब्जा है। यह आराजी 1985 में वादी द्वारा कय की गई है। परन्तु बयनामा का नामातंकरण क्यों दर्ज नहीं किया गया इस सम्बन्ध में प्रतिवादी न.3 द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

चूंकि वादी द्वारा विवादित आराजी जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की गई है तथा प्रतिवादीगण ने भी अपनी सहमति व्यक्त की है इसलिए वादी कानूनन विवादित आराजी की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः दावा वादी डिकी योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादी डिकी किया जाता है तथा आराजी ख.न. 2152 रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम मानका का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी पर दर्ज प्रतिवादीगण के हाल इन्द्राज को कलमजन किया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिकी जारी हो।

(योगेश कुमार डागुर) 06.8.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर

निणर्य आज दिनांक 06.8.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर) 06.8.19

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 99/2018
तारीख दायरा : 27.04.2018

उनवान

1.कप्तान पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी प्राणपुरा तहसील बावल जिला रेवाडी (हरियाणा)

.......वादी।

बनाम

1.महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन।

2.विरेन्द्रसिंह पुत्र श्री रामकिशन जाति खत्री निवासी मानका तहसील मुण्डावर हाल फरीदाबाद।

3.तहसीलदार मुण्डावर लैण्ड होल्डर जिला अलवर।

4.उप पंजीयक मुण्डावर जिला अलवर। ....प्रतिवादीगण।

(दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट)

पर्चा डिक्री दिनांक 06.8.19

दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा आराजी ख.न. 2152 रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम मानका का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी पर दर्ज प्रतिवादीगण के हाल इन्द्राज को कलमजन किया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(योगेश कुमार डागुर)
06.8.19

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner